आयुक्त कार्यालय, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

पत्रांक................/

प्रेषक,

आयुक्त के सचिव,
पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

सेवा में,

उपायुक्त,
लातेहार।

मेदिनीनगर, दिनांक................/

विषय :— **नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांस्को लिमिटेड द्वारा नॉर्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना, टण्डवा से चन्दवा तक 400 के0भी0 ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु गैरमजरूआ जंगल—झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।**

प्रसंग :— **आपका पत्रांक 464/रा0 दिनांक 06.06.2020 एवं अपर समाहर्त्ता, लातेहार का पत्रांक 549/रा0 दिनांक 09.07.2020।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लातेहार जिलांतर्गत अंचल—बारियातु, बालूमाथ एवं चन्दवा के विभिन्न मौजाओं का कुल रकबा 11.2842 हेक्टेयर गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल, जंगल—झाड़ी, सखुआ इत्यादि) भूमि का नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांस्को लिमिटेड द्वारा नॉर्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना, टण्डवा से चन्दवा तक 400 के0भी0 ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु सैद्धांतिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रस्ताव आपके प्रासंगिक पत्र से प्राप्त है। आपके प्रासंगिक पत्र से प्राप्त प्रस्ताव में यह अंकित किया गया है कि मे0 नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांस्को लिमिटेड के द्वारा 80 प्रतिशत राशि जमा कर दी गयी है।

उपरोक्त प्रस्ताव से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार निम्न भूमि गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल, जंगल—झाड़ी, सखुआ इत्यादि) के रूप में प्रतिवेदित है :—

क्रम सं0	अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता सं0	प्लौट सं0	रकबा (हेक्टेयर में)	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7
1.	बारियातु	फुलबसिया उर्फ अमरवाडीह/58	324	1741	2.1047	जंगल—झाड़ी
2.				420	0.1000	
3.				915	0.0155	
4.	बालूमाथ	चमातू/56	213	157	0.0079	जंगल—झाड़ी
5.		चेटर/59	156	558	0.1305	जंगल
6.		पुन्डरलावा/66	55	135	0.3827	जंगल
7.				318	0.0500	
8.				327	0.2235	
9.				404	0.5883	
10.		चसिया/215	271	1592	0.0009	
11.				249	0.4001	जंगल—झाड़ी पी0पी0आर
12.				252	1.3796	
13.				307	0.4037	
14.		ग्रेंजा/214	141	23	0.1035	जंगल
15.				41	1.0210	
16.				45	0.0329	

Chandra Shekhar Sin...
Assistant ...
North Karanpura Transco Limited
Ranchi

17.	चन्दवा	जोगियाडीह / 206	99	153	0.1211	जंगल–झाड़ी
18.		सेमरसोत / 207	137	989	0.3143	जंगल–झाड़ी
19.				479	0.3010	
20.				992	0.3444	
21.		मुरगांव / 209	59	364	0.2356	जंगल–झाड़ी
22.				427	0.3770	
23.		चितरपुर / 210	130	234	0.0536	जंगल
24.				253	0.0664	
25.				277	1.4909	
26.		अनगड़ा / 278	44	2	0.0217	जंगल–झाड़ी
27.				4	0.5524	
28.		अम्बादोहर / 276	33	422	0.0024	जंगल–झाड़ी
29.		नगर / 240	134	430	0.0965	जंगल–झाड़ी
30.				433	0.0524	
31.				436	0.0930	
32.				997	0.0803	
33.				999	0.1364	
				कुल रकबा	**11.2842 हे0**	

कुल रकबा **11.2842** हेक्टेयर गैरमजरूआ जंगल, जंगल–झाड़ी भूमि के रूप में अंकित भूमि का राजस्व विभागीय संकल्प सं0–1817 / रा0 दिनांक 30.04.2015 द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के आलोक में सम्यक विचारोपरांत उपर्युक्त प्रस्तावित गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल, जंगल–झाड़ी, सखुआ इत्यादि) भूमि के अपयोजन हेतु आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर को सैद्धांतिक रूप से कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल, जंगल–झाड़ी, सखुआ इत्यादि) भूमि के विधिवत हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। गैरमजरूआ जंगल, जंगल–झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण / लीज बंदोबस्ती हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

2. गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल, जंगल–झाड़ी, सखुआ इत्यादि) भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद प्रयोक्ता एजेंसी को उक्त भूमि के उपयोग की अनुमति तबतक नहीं दी जायेगी जबतक उसके विधिवत हस्तांतरण हेतु राज्यादेश निर्गत नहीं कर दिया जाय।
3. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 4908 / रा0 दिनांक 17.12.2019 में वर्णित प्रावधान के तहत भूमि के मूल्य का शत् प्रतिशत राशि प्राप्त करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमति के उपरांत भूमि Release करने की कार्रवाई की जाय।

Chandra Shekhar Sin
Ranchi

4. उपायुक्त, लातेहार द्वारा भूमि के हस्तांतरण से पूर्व स्थल जांच करायी जाय तथा प्रासंगिक खतियान एवं नक्शा की सत्यापित प्रति से मिलान कर आश्वस्त होने पर ही भूमि का हस्तांतरण किया जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/–

आयुक्त के सचिव,
पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

ज्ञापांक 196 / मेदिनीनगर, दिनांक 24.03.2021

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त के सचिव,
पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

ज्ञापांक– 360 /रा0, दिनांक– 30 / 07 /2021

प्रतिलिपि:– अधिकृत पदाधिकारी, मेसर्स नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांस्को लिमिटेड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर समाहर्ता,
लातेहार।

Chandra Shekhar Singh